

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2022/269

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 130/2022 (सुशील कुमार वगैरह बनाम रामनिवास वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 19.07.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.07.2023 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम दुलपुरा के गत ख0न0 96/1 रकबा 10 बीघा हाल ख0न0 3 रकबा 2.53 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ कर वादीगण को पैत्रिक रूप से 1/5-1/5 हिस्से का मुताबिक विनिमय पत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 19.07.2023 को जारी की गई।



(हवाई सिंह यादव)
19/07/23
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर